NOT VALID FOR ACCEPTING PUBLIC DEPOSITS

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

AHMEDABAD REGIONAL OFFICE

पंजीकरण प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION

(जनता की जमाराशियां स्वीकार करने के लिए वैध नहीं)

(Not valid for accepting Public Deposits)

संख्या	01.00053
No.	01.00053

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **ओरीएन्टल फीनस्टोक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड** को

(पूर्ववर्ती ओरीएन्टल फीनस्टोक सर्विसेस लिमिटेड)

(भा. रि. बै. अहमदाबाद द्वारा जारी दिनांक 05 मार्च 1998 के पूर्ववर्ती प्रमाणपत्र सं. 01.00053 के बदले में)

दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर जनता से जमाराशियां स्वीकार किये बिना गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार प्रारंभ ~~करने~~ / करते रहने के लिए यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

ORIENTAL FINSTOCK SERVICES PRIVATE LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS ORIENTAL FINSTOCK SERVICES LTD.)

(In lieu of earlier Certificate No. 01.00053 dated March 5, 1998 issued by RBI, Ahmedabad)

is hereby granted

Certificate of Registration

to ~~commence~~ / carry on the business of non-banking financial institution without accepting public deposits subject to the conditions given on the reverse.

मेरे हस्ताक्षर के अधीन अहमदाबाद में दो हज़ार अठारह, मई की सत्रहवीं तारीख को जारी किया गया।

Given under my hand at Ahmedabad this Seventeenth day of May Two Thousand Eighteen

एम. एम. सेनापति

(एम. एम. सेनापति)

(~~महा प्रबंधक~~ / उप महा प्रबंधक)

~~General Manager~~ / Deputy General Manager

शर्तें / Conditions

1. पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपकी कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में तथा अन्य कार्यालयों, शाखाओं में, यदि कोई हों, प्रदर्शित की जायेगी।	1. The Certificate of Registration or a certified copy thereof shall be kept displayed at the Registered Office and other offices, branches, if any, of your company.
2. आपकी कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III बी के अंतर्गत निर्धारित समस्त शर्तों तथा मानदंडों का निरंतर पालन किये जाने की शर्त के अधीन जारी किया जा रहा है।	2. The Certificate of Registration is issued to your company subject to your continued adherence to all the conditions and parameters stipulated under Chapter III B of the Reserve Bank of India Act, 1934.
3. आपकी कंपनी को बैंक द्वारा जारी तथा उस पर यथालागू निदेशों, दिशानिर्देशों / अनुदेशों, आदि की अपेक्षाओं का पालन करना होगा।	3. Your company shall be required to comply with all the requirements of the Directions, guidelines / instructions, etc. issued by the Bank and as applicable to it.
4. यदि आपकी कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विज्ञापनों आदि में यह दर्शाना चाहती है कि उसके पास भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो इस तरह के विज्ञापन में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिये :- "कंपनी के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 झ क के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक ______ का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र है। तथापि भारतीय रिज़र्व बैंक कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता की वर्तमान स्थिति अथवा कंपनी द्वारा दिये गये किसी विवरण अथवा प्रतिवेदन अथवा व्यक्त की गयी किसी राय की सत्यता के लिए और कंपनी द्वारा जमाराशियों की अदायगी / देयताओं के उन्मोचन के लिए कोई जिम्मेदारी अथवा गारंटी स्वीकार नहीं करता।"	4. If your company desires to indicate directly or indirectly in any advertisement, etc. that the company is having a Certificate of Registration issued by the Reserve Bank of India, such advertisement should invariably contain a statement as under : "The company is having a valid Certificate of Registration dated 17/05/2018 issued by the Reserve Bank of India under Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934. However, the RBI does not accept any responsibility or guarantee about the present position as to the financial soundness of the company or for the correctness of any of the statements or representations made or opinions expressed by the company and for repayment of deposits / discharge of liabilities by the company."
5. @आपकी कंपनी को जनता की जमाराशियां स्वीकार करने / रखने की अनुमति नहीं है।	5@. Your company is not allowed to accept / hold public deposits.
6. *आपकी कंपनी को जनता से फिलहाल कोई भी जमाराशि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। दो वर्ष की अवधि तक परिचालन में रहने के बाद यदि कंपनी जनता से जमाराशियां जुटाना चाहे तो वह दो वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र और किसी मान्यता प्राप्त साख निर्धारण एजेंसी से मीयादी जमाराशियों के लिए साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) के साथ बैंक से अनुरोध कर सकती है। आपकी कंपनी हमसे विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही जनता की जमाराशि स्वीकार करेगी।	6*. Your company must not accept any public deposits for the time being. After the company has been in operation for a period of two years, if it intends to raise public deposits, it may approach the Bank with the audited Balance Sheets for two years and a credit rating for fixed deposits from one of the recognised rating agencies. Your company will accept public deposits only after obtaining specific approval from us.
7. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से बैंक को अवगत कराया जाये।	7. The date when your company has commenced business as a non-banking financial institution may be advised to the Bank.
@ उन कंपनीयों पर लागू, जिन्हें उनके बोर्ड के इस संकल्प के आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्वानुमति के बिना जनता की जमाराशियां स्वीकार न करें। * जनवरी 9, 1997 को या उसके बाद निगमित नयी कंपनियों पर लागू।	@ Applicable to companies, to whom Certificate of Registration has been issued on the basis of their Board Resolution not to accept public deposits without prior written permission of RBI. * Applicable to new companies incorporated on or after January 9, 1997

20877